International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अनुसूचित जाति का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन : एक अध्ययन

Ashwin R. Meshram
Research Scholar,Gondwana University,Gadchiroli
Dr. Dashrath T. Gajbhiye
Assit.Professor,Aniket Mahavidyalaya,Wadsa

सार

हिन्दु शास्त्रों के अन्तर्गत शूद्र वर्ण के साथ सामाजिक बहिष्कार तथा अपवित्रता की अवधारणायें संयुक्त की गयी है। अनुसूचित जाति के जीवन में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से शिक्षकों द्वारा निभाई गई है।एक ही समाज में अलग–अलग लोगों के साथ भिन्न–भिन्न विशिष्टताएं या निर्योग्यताएं सयं ुक्त कर दी जाती है जिससे लोगों के मध्य एक असमानता का जन्म होता है। प्राकृतिक असमानताओं के अतिरिक्त जब मानव समाज द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में भिन्नता मूलक भावनाओं का बीजारोपण किया जाता है, प्राचीन काल से स्वतंत्रता के बाद के युग में समाज के वचित वर्गों की सामाजिक अक्षमताओं को दूर करने और बदलने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कई प्रयास किए गए है।

मुख्य शब्द: सामाजिक, आर्थिक , स्थिति , जाति

प्रस्तावना

किसी भी जाति की सामाजिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति का प्रतिबिम्ब होती है इसलिए किसी भी जाति या समाज की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने से पवू र् उसकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। भारतीय समाज की संरचना अत्यंत जटिल है, जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्रारम्भ में वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत समाज चार वर्गों में – ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित था। कालान्तर में यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी। आज जाति व्यवस्था में स्थिति ही व्यक्ति की समाज में प्रस्थिति तय करती है। जाति–व्यवस्था ब्राह्मण की सर्वोच्चता पर आधारित उदग्र–व्यवस्था है। अतरू इस व्यवस्था में जिस जाति का जितना ऊपर स्थान होगा, उसे उतना ही अधिक विशेषाधिकार तथा जो जाति जितना अधिक निम्न होगी, उसे उतना ही अधिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ेगा। यदि सामाजिक अधिकार को ध्यान में रखकर भारतीय समाज का वर्गीकरण किया जाये, तो इसे तीन वर्गों में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विभक्त किया जा सकता है– पुरस्कृत वर्ग, तिरस्कृत वर्ग तथा बहिष्कृत वर्ग । पुरस्कृत वर्ग के अन्तर्गत, द्विज–जातियाँ, तिरस्कृत वर्ग के अन्तर्गत पिछड़ी जातियाँ तथा बहिष्कृत श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियाँ रखी जा सकती हैं।

जाति व्यवस्था के संदर्भ में बूगल (1958 : 9) ने लिखा है "जाति–वंशानुक्रम–आधार पर विशिष्ट श्रेणीबद्ध रूप से गठित समूह है। उन्हानें` जाति की तीन विशेषताएं बताई हैं– पैतृक विशिष्टता, श्रेणीबद्धता तथा तिरस्कार । तिरस्कार की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा
है कि विभिन्न जातियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की अपेक्षा एक दूसरे का तिरस्कार करती हैं। तिरस्कार की यह भावना अन्तर्विवाह, सहयोग प्रतिबन्धों तथा सम्पर्क में स्पष्ट होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति व्यक्ति के सामाजिक जीवन को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है। अनसु ूचित जाति की समस्या का आधारभूत पक्ष है सामाजिक भेद–भाव। अनुसूचित जाति के साथ सामाजिक भेदभाव आज भी बरता जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1) अपने समुदायों को शिक्षित करने में अनुसूचित जाति और गैर–अनुसूचित जाति शिक्षकों की बौद्धिक भूमिका की प्रकृति की जांच करना।

2) अपने समुदाय के हितों में आंदोलन और कुछ गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी की सीमा की पहचान करना।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण की सकं ल्पना

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। मानव इतिहास में आज तक एसे` समाज का परिचय नहीं मिलता है जो कि एक निश्चित सामाजिक ढाँचे को स्थिर रख सका हो। भौतिक पदार्थों और अन्य प्राकृतिक रचनाओं में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है फिर समाज तो मानवकृ त सस्ं कृति की विविधता का धरोहर है।

रूपान्तरण पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अन्तर या परिवर्तन को कहते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

रूपान्तण की निम्न विशेषताएँ हैं

1. रूपान्तरण किसी भी भौतिक अथवा भौतिक वस्तु की निश्चित दिशा में विचलन की स्थिति है।

2. यह विचलन या तो स्वंय प्रकृति से किन्हीं नियमों के द्वारा अथवा मानव समाज के द्वारा योजनाबद्ध रूप से हो सकता है।

भारत में विचारधारात्मक स्तर पर सामाजिक रूपान्तरण के जिन उद्देश्यों पर विचार किया जाता है उन्हें सारतत्व की दृष्टि से क्रान्तिकारी और नियोजन पद्धति या क्रियान्वयन–प्रणाली की दृष्टि से उद्विकास–परक माना जा सकता है। क्रान्ति और उद्विकास के मध्य संरचनात्मक दृष्टि से अत्यन्त निकट परन्तु विचारधारात्मक दृष्टि से भेदमूलक सम्बन्ध है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रणेताओं और सत्रू धारों को इस बात की पर्ू ाी समझ थी। वे इस बात से अवगत थे कि सामाजिक सरं चना, इतिहास और परम्परा जो किसी समाज के निर्माण के मौलिक स्थितियों को रूपायित करते हैं, सामाजिक
रूपान्तरण की नीतियो, लक्ष्यों और पद्धतियों को निर्धारित एवं परिभाषित करने में किस हद तक सक्षम हैं।

इस दृष्टि से गाँधी जी ने अग्रदूत की भूमिका निभायी। जवाहर लाल नेहरू ने सामाजिक रूपान्तरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के लिए एक मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया को पर्ू ा किया। इस मॉडल के माध्यम से यह बात स्वीकार की गयी कि यदि सामाजिक परिवर्तन प्रजातान्त्रिक सहभागिता द्वारा लाया जाना है तो भारतीय समाज की संस्थाओं, सामाजिक सरं चनाओं या ढांचों और मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन अपरिहार्य है। इस क्रान्ति के सत्रू पात को सम्भव बनाने के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग भी आवश्यक था। यह राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं से विरासत के रूप में प्राप्त विचारधारा का मूलभूत अंश था। इस आन्दोलन तथा इसके अभिमुखनों के वर्गीय चरित्र को केन्द्र में रखकर भारत में अब तक अनेक वाद विवाद तथा परिचर्चाएँ हो चुकी हैं।

समाज का अर्थ, परिभाषा एवं स्तरीकरण
किसी ने समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया है, तो किसी ने समुदाय के लिए, तो किसी ने समस्त राष्ट्र के लिए किया है और किसी ने तो समस्त मानव जाति के लिए किया है। कुछ लोगों ने समाज को एक अमूर्त व्यवस्था माना है, तो कुछ ने उसे मूर्त। कभी–कभी हमें मानव सभ्यता के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कभी तो यह बहुत ही विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होता है, तो कभी बहुत ही सामान्य अर्थ मे।

"समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनके समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियन्त्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सतत् परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, जिसे हम समाज कहते है। यह सामाजिक सम्बन्धों का जाल है और वह निरन्तर परिवर्तनशील है" (मैकाइबर और पजे)। इसका तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक सम्बन्ध होता है। सामाजिक सम्बन्धों से तात्पर्य व्यक्यिों की उन पारस्परिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्देश्य को परू ा करने के लिए स्थापित की जाती है।

अनुसूचित जाति का अर्थ एवं परिभाषा

भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों पर भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी क्षत्रे में जितने भी अध्ययन हुए हैं उसमें अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति का उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है। जाति के उद्भव के विषय में किये गये विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जाति श्रम विभाजन के ऐतिहासिक विकास क्रम का प्रतिफल है। इसके उद्भव से सम्बन्धित सिद्धान्त अलग–अलग मतों से युक्त हैं। पुरूष सक्तू पर आधारित सिद्धान्त ब्रह्म पुरूष के विभिन्न अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है। इसके आधार पर चार सामाजिक कोटियों का उल्लेख किया जाता ह।ै वस्तुतः जाति को प्रजातीय और व्यवसायिक कारकों से उत्पन्न माना जाता है।

अनुसूचित जातियाँ का इतिहास

आर्थिक विकास की पहली शर्त सामाजिक विकास है। जिन देशों का सामाजिक विकास पहले हुआ और आर्थिक विकास बाद में वह देश आर्थिक विकास के उच्च शिखर पर स्थित हैं।

भारत यद्यपि आर्थिक सामाजिक विकास की दृष्टि से विश्व में अग्रणी था किन्तु अनेक राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक कारणों से वह विश्वगुरू के पद से अलग हुआ और विश्व की अनेक शक्तियों तथा आंतरिक संघर्षों ने भारत की आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक समृद्धि को निचोड़ कर उसे पतनोन्मुख कर दिया। सामाजिक विषमता भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई। यद्यपि आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। एसे ा समाज जहाँ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो एक कोरी कल्पना है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। ″समनरۜ की मान्यता है कि 'इतिहास में कभी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भी एसे ा समय नहीं रहा है जिसमें वर्ग घृणा न उपस्थित रही हो ' अनके मानव शास्त्रियों ने आदम समाजों में समानता का उल्लेख तो किया है किन्तु उनमें भी आज के समाज की भाँति सामाजिक विषमता के आधार पर समाज में उच्चता और निम्नता का भेद अवश्य रहा है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

सरकार द्वारा समाज के कमजोर एवं लाचार व्यक्तियों के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ा कार्यक्रम सचं ालित किये जा रहे हैं।

छात्रवृत्ति योजना

निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुजं ी होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कक्षा 1–10 तक के विद्यार्थियों के लिये पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना तथा कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति तथा इजं ीनियरिंग, मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति किये जाने की योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। मण्डल के जनपदों में समाज कल्याण विभाग द्वारा सचं ालित योजनायें निम्नवत् हैं:

पूर्व–दशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1–8 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई सीमा प्रतिबंधित नहीं है। यह योजना राज्य वित्त पोषित है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग क एसे छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 19,884 रूपये ग्रामीण क्षेत्र हेतु तथा 25,546 रूपये शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित की गयी है। यह योजना राज्य वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 262 लाख रूपये की धनराशि व्यय कर 64,941 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई। उपर्युक्त में कक्षा 1–8 के 57,033 छात्र व वितरित धनराशि 205.50 लाख रूपये तथा कक्षा 9–10 के 7,908 छात्र व वितरित धनराशि 36.88 लाख रूपये रही।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति या जन जाति एवं सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख तक है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना वर्ष 2007–08 से केन्द्र पोषित है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद में कुल 32,444 अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी तथा 921.35 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार उक्त छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में सामान्य जाति के 11,122 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी तथा 211.00 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी।

वृद्धावस्था पेशंन

इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार सुची 2002 में सम्मिलित परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त वृद्धजनों को 300 रूपये की दर से प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त योजना के अन्तर्गत 60–65 वर्ष के वृद्धों के पशें ान का वित्त पोषण राज्य सरकार तथा 65 वर्ष के ऊपर के वृद्धों के पेंशन का वित्त पोषण 2ध्3 केन्द्र सरकार व 1ध्3 राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद में कुल 76,924 वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन उपलब्ध कराई गयी तथा 2,807.48 लाख रूपये की धनराशि वृद्धावस्था पेंशन मद में वितरित की गयी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक सदस्य जिसकी आयु 18–64 वर्ष आयु के मध्य हो, के मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 20 हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।

अत्याचार उत्पीड़न योजना

विभिन्न प्रकार की घटनाओं व अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के अत्याचार की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम 15,000 रूपये से अधिकतम 2,00,000 रूपये तक आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान है। अत्याचार उत्पीड़न के विभिन्न

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मामलों में देय सहायता की दरें शासनादेश दिनांक 17.10.1995 द्वारा निर्धारित की जाती है।

शादी या बीमारी अनुदान योजना

यह योजना वर्ष 1982–83 से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। गरीबी रेखा की सीमा शहरी क्षेत्र के निवासियों हेतु 25,546 रूपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षत्रे के निवासियों के लिये 19,884 रूपये वार्षिक आय के मानक से आकलित किया जाता है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत 10,000 रूपये तथा बीमारी के लिये 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना

इस योजना का शुभारम्भ तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 15.01.2010 को किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन अथवा बी.पी.एल. ध्अन्त्योदय योजना से वचित परिवार जिनको सरकारी सर्वेक्षण में 16 या उससे अधिक अंक प्राप्त हुये है, को दिनांक 01.10. 2010 से 300 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद में कुल 25,846 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत 1,203.33 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा सचं ालित कार्यक्रम

वर्तमान में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन, विकलांगों हेतु कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण वितरण, दुकान निर्माण व सचं ालन हेतु आर्थिक सहायता तथा शादी विवाह प्रोत्साहन योजनायें संचालित की जा रही हैं।

i. विकलांग पेंशन – इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद में कुल 10,179 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन वितरित की गयी। जिस पर 361.926 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी। इस योजनान्तर्गत 3,080 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा जिस पर 109.332 लाख रूपये व्यय किया गया।

ii. कृत्रिम अंग या सहायक उपकरण वितरण – विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

iii. दुकान निर्माण व सचं ालन योजना – इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 जिला योजनान्तर्गत जनपद में कुल 6 विकलांग व्यक्तियों को दुकान निर्माण व सचं ालन हेतु लाभान्वित किया गया है तथा 60,000 रूपये की धनराशि व्यय की गयी है।

शादी विवाह प्रोत्साहन योजना – विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के प्रत्रियों के शादी–विवाह हेतु सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. विधवा पर्षे ान

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित विधवाओं को विधवा पेंशन या अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत मण्डल में वर्ष 2010–11 में कुल 8,356 महिलाओं को पेंशन वितरित की गयी तथा कुल 300.816 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गयी।

2. महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना

इस योजना का शुभारम्भ तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा 05 फरवरी, 2009 को किया गया। योजनान्तर्गत बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक दृष्टिकोण लाने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी

इस योजना के अन्तर्गत उन बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है जिनका जन्म 15 जनवरी, 2009 या उसके बाद हुआ है। उक्त योजनान्तर्गत बालिका के जन्म होने पर एक–मुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिये फिक्स डिपॉजिट की जाती है तथा बालिका के 18 वर्ष तक अविवाहित रहने की स्थिति में उक्त जमा धनराशि की परिपक्व धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जनपद में कुल 4,227 बालिकाओं को एफ.डी. प्राप्त कराकर लाभान्वित किया गया जिसमें 1,953 बालिकायें अनुसूचित जाति की हैं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 46.20 रहा है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उपसंहार

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर, और दलित आंदोलनों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के मुद्दों आदि पर लेख प्रकाशित करना। जहां तक सगं ठनात्मक और आंदोलनकारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात है, फिर से कुछ शिक्षक ज्यादातर महार समुदाय के हैं। आरै केवल उच्च स्तर के शिक्षण को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय पाया गया।लेकिन, उन्होंने अपनी भूमिका विशेष रूप से आर्थिक उत्थान के बजाय श्सांस्कृ तिक गतिविधियों' पर सीमित कर दी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षक विशेष रूप से उच्च स्तर के अध्यापन से सबं ंधित महार समुदाय डॉ. अम्बेडकर की विचारधाराओं से प्रभावित थे, और इसलिए वे दलित समुदायों यानी अनुसूचित जाति और अन्य उपेक्षित समूहों के सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुए।

संदर्भ सूचि

[1] चान्दा, आर. पी0 इण्डो आर्यन रेसजे , राजशाही, 1916 |

[2] ड्रेज, जीन एण्ड सेन, इण्डिया रू इकोनॉमिक डवे लपमेटं एण्ड शोसल अमर्त्य अपोर्चुनिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली 1995 |

[3] डान्डेकर, भी.एम. एण्ड रथ, एन. : पावर्टी इन इण्डिया इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 6 (2). 25, 28, 1971 |

[4] दबे, एस.सी. क्न्टेम्पोररी इण्डिया एण्ड इट्स मॉडर्नाइजेशन, विकास पब्लिकेशन्स हाउस, दिल्ली, 1974 |

[5] दन्तवाला, एम.एल. गरीबी हटाओ रू स्ट्रैटजी ओपीनियनस रू इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली मार्च, 16, 1985/ पोवर्टी इन इण्डिया देन एण्ड नाउ, मैक्मीलन, नई दिल्ली, 1973|

[6] दलजी, बेदीलाल प्लान, पोवर्टी एण्ड पेपल, कामर्स दिसम्बर 29, 1973 |

[7] राव, M-S. ।.(मक.) के सोशल मूवमेंट्स इन इडिया, खंड ५, मनोहर प्रकाशन, नई दिल्ली–110002, 2019, P.4' से अनुकूलित

[8] कैमरून, डब्ल्यू.बी. : आधुनिक सामाजिक आदं ोलन रू एक सामाजिक रूपरेखा? रैंडम हाउस, न्यूयॉर्क, 2016, पी. 9.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 07 July- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

[9] कीर, धनजं य का महात्मा जोतिराव फूले– हमारी सामाजिक क्रांति के जनक; लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे, 2019, पृष्ठ 61।

[10] कीर, धनजं य और मलाशे, एस.जी. (संपा.)रू महात्मा फुले समग्र वघं ामाया (मराठी); महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी सस्ं कृति मंडल, बॉम्बे–34, दूसरा सस्ं करण। 2010, पीपी. 67और 68.